

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

26 AUG 2015

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 26 AUG 2015

बैठक सूचना

निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं की प्रगति की समीक्षा निम्नानुसार की जावेगी:-

क्र.स.	दिनांक	समय	योजना का नाम
1	16.09.2015	11.00 AM	महात्मा गांधी नरेगा / सामाजिक अंकेक्षण
2	30.09.2015	11.00 AM	पंचायती राज / आई.जी.पी.आर.एस.
3	21.10.2015	11.00 AM	ग्रामीण विकास / राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद / बायोफ्यूल
4	28.10.2015	11.00 AM	जलग्रहण / मिड-डे-मील

उपरोक्त समीक्षा बैठक की सूचना (PPT) योजना प्रभारी द्वारा बैठक से दो दिवस पूर्व तैयार कर विशिष्ट सहायक मा0 मंत्री महोदय को व्यक्तिशः उपलब्ध कराई जावेगी, तथा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे।

बैठक उक्त निर्धारित दिनांक एवं समय पर समिति कक्ष, उत्तर पश्चिमी भवन (एसएसओ भवन), शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की जायेगी।

बैठक कार्यवाही विवरण संबंधित योजना प्रभारी द्वारा मा0 मंत्री महोदय के अनुमोदन पश्चात जारी किये जावे, तथा बैठक कार्यवाही विवरण के बिन्दुओं की अनुपालना भी तैयार कर सॉफ्ट कॉपी में भिजवायेगे।

निम्न से निवेदन है कि कृपया बैठक में भाग लेने का श्रम करें :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 3 स्टेट मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- 4 शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज।
- 5 आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
- 6 महानिदेशक, आईजीपीआरएस।
- 7 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 8 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 9 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 10 निदेशक, सीसीडीयू, पंचायतीराज।
- 11 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 12 संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन), ग्रामीण विकास/पंचायती राज।
- 13 परि. निदे. एवं उप सचिव, एसएपी/नरेगा/मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
- 14 परियोजना निदेशक, एलपी एण्ड एसएचजी, आजीविका।
- 15 अति. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग(अनुभाग-6)।
- 16 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा/पंचायती राज।
- 17 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/महानरेगा(श्री-योजना)।
- 18 अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट/स्वच्छता, पंचायती राज।
- 19 संयुक्त निदेशक, (मोनेटरिंग) पंचायतीराज।
- 20 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (बायोफ्यूल)।
- 21 नोडल अधिकारी, एम-पॉवर।

भवदीय  
26/8/15  
परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 6 निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
- 8 निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा।
- 9 निजी सचिव, महानिदेशक, आईजीपीआरएस।
- 10 निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 11 निजी सचिव, निदेशक, मिड-डे-मील।
- 12 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 13 निदेशक, सीसीडीयू, पंचायतीराज।
- 14 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 15 संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन), ग्रामीण विकास/पंचायती राज।
- 16 परि. निदे. एवं उप सचिव, एसएपी/नरेगा/मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
- 17 परियोजना निदेशक, एलपी एण्ड एसएचजी, आजीविका।
- 18 अति. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग(अनुभाग-6)।
- 19 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा/पंचायती राज।
- 20 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/महानरेगा(श्री-योजना)।
- 21 अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट/स्वच्छता, पंचायती राज।
- 22 संयुक्त निदेशक, (मोनेटरिंग) पंचायतीराज।
- 23 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (बायोफ्यूल)।
- 24 नोडल अधिकारी, एम-पॉवर।
- 25 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदे. एवं उप सचिव  
(मो. एवं मू.)